

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स.3(16)(19)विविध/अभि./14 पार्ट-1/694-747 दिनांक:-17-1-17
प्रेषित:-

समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान।


विषय - सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व
अन्य क सम्बन्ध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की
अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पालनार्थ।

सन्दर्भ:- गृह (ग्रुप-6) विभाग का पत्र क्रमांक प.17(4)गृह-6/2016 दिनांक
04.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम
राज्य सरकार व अन्य क सम्बन्ध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की
अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पालनार्थ प्राप्त सन्दर्भित पत्र की
छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(अशोक कुमार बम्नावत)

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त शाखाएं अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।


अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

8/26/17
विधि

राजस्थान सरकार
गृह (गृह-6) विभाग



क्रमांक: प. 17(4)गृह-6/2016

जयपुर, दिनांक : 4/1/17

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, कारागार, जयपुर।
3. महानिदेशक, गृह रक्षा, जयपुर।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. निदेशक, अभियोजन, जयपुर।
6. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य के सम्बन्ध में दि. 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पालनार्थ।


-----0000-----

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अशा.टीप प.14(3)साप्र/2016 दिनांक 20.12.2016 को प्रति संलग्न कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय की तत्काल पालना सुनिश्चित करते हुए की गयी कार्यवाही से सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराते हुए इस विभाग को भी एक प्रति पृष्ठांकित करवाने का प्रेम करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


शासन उप सचिव, गृह (अपील)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (दुभा-2) विभाग

संख्या: 1384605
दिनांक: 26/12/16

117
263/16

विषय - सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 5.12.16 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पालनार्थ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 5.12.16 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करने हेतु अपने अधीन सभी विभागाध्यक्षा को सेवानिवृत्ति आदेश जारी करते समय ही एक आवश्यक रूप से शर्त जोड़ने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।

रुह (दुभा-6) विभाग

प्रधान सचिव, जयपुर

आवृत्ति संख्या: 6457

दिनांक: 26/12/16

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।

अशा0 टीप क्रमांक प0 14(3)साप्र/2/2016
जयपुर, दिनांक: 26-12-16

Sr. DS (C)

27/12/16

28/12

AR
28/12/16